

कलेक्टर शिवपुरी

शाखा: खो.से.प्र.

2-2 OCT 2016

इस परिपत्र को जिला की website पर उल्लेखित करके तब तक अधिकारियों को कार-संकेप (सहित करें)

मध्यप्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

क्रमांक/ 710/PSM/2014/61

भोपाल, दिनांक 30/07/2014

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव शासन के समस्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
3. विभागाध्यक्ष, समस्त मध्यप्रदेश।
4. संभागायुक्त, समस्त मध्यप्रदेश।
5. जिला कलेक्टर, समस्त मध्यप्रदेश।
6. पुलिस अधीक्षक, समस्त, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय : सीएम हेल्पलाइन 181 के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

1. पृष्ठभूमि :

सुशासन की स्थापना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नागरिकों को सुलभ जानकारियों उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना न केवल शासन तंत्र में पारदर्शिता लाता है बल्कि उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए एक सहभागी तथा जवाबदेह व्यवस्था का निर्माण करता है। राज्य शासन के विजन-2018 में भी इसे विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के लिए त्वरित शिकायत निवारण एवं जानकारी प्रदाय के तंत्र के रूप में सीएम हेल्पलाइन की स्थापना की गयी है।

